समाहरणाय, कोडरमा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 221/रा0 दिनांक 28/2/2015

प्रेषक,

उपायुक्त,
कोडरमा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा/
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा/
सभी अंचल अधिकारी, कोडरमा जिला।

विषय :- झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यव्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के प्रचार-प्रसार एवं उस पर सुझाव प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-53/नि0 दिनांक 27.02.2015 से उक्त नियमावली प्रारूप प्राप्त है, जिसे jhr.nic.in/Irms पर भी देखा जा सकता है।

निदेश है कि उक्त नियमावली अपने सूचना पट्ट पर इस प्रकार उपलब्ध करावें कि आमजन उसका अवलोकर कर सके और नियमावली के संबंध में अपना सुझाव भी दे सके। परन्तु कोई भी सुझाव स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं किया जायेगा। सभी सुझाव निदेशक(भू-अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रोजेक्ट भवन, झारखण्ड, राँची के कार्यालय अथवा Email :- bhoomijharkhand@gmail.com पर भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

28/2/15

अपर समाहर्ता
कोडरमा

28/2

उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक:-221/रा0 दिनांक 28/2/2015

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित। सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना तथा नियमावली प्रारूप जिले के Web Site. www.koderma.nic.in पर डाल दिया गया है।

28/2/15

अपर समाहर्ता
कोडरमा

28/2

उपायुक्त,
कोडरमा।

Misc. Letters

[redacted]

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधि. सं.– 10 एल/भू.अ.नि.(नियमा)-2/15 53/रा० दिनांक– 27-02-15

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित "झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015" प्रारूप को इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए सुझाव की मांग की जाती है। नियमावली प्रारूप jhr.nic.in/lrms पर उपलब्ध है।

2. प्रारूप नियमावली (संलग्न) पर उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

3. यदि कोई सुझाव हो तो उसे निदेशक (भू–अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रोजेक्ट भवन, झारखण्ड, राँची के कार्यालय अथवा e-mail – bhoomijharkhand@gmail.com पर प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 27/02/15

सरकार के सचिव।